मध्यप्रदेश शासन
जल संसाधन विभाग
मंत्रालय,

क्रमांक एफ–19–57/2017/पी–1/इकतीस भोपाल, दिनांक

प्रति,

मुख्य अभियंता,
गंगा कछार, जल संसाधन विभाग,
रीवा (म.प्र.)

विषय :– न मांग न जांच प्रमाण पत्र के संबंध में – श्री जुगुल किशोर तिवारी, सेवानिवृत्त अधीक्षण यंत्री।

संदर्भ :– इस विभाग का समसंख्यक पत्र दिनांक 20.08.2020 एवं आपका पत्र क्रमांक 12766/स्था.44–49/मु.नि..9/2615 दिनांक 02.05.2019

विषयांकित प्रकरण में संदर्भित पत्र दि.20.08.2020 का कृपया अवलोकन हो। छायाप्रति संलग्न है।

2. शासन संदर्भित पत्र के माध्यम से चाही गई जानकारी आज दिनांक तक अप्राप्त है। श्री जुगुल किशोर तिवारी अधीक्षण यंत्री दि. 31.01.2010 को सेवानिवृत्त हुए हैं, अभी तक न मांग न जांच प्रमाण पत्र जारी नहीं हुआ है। कार्यपालन यंत्री, महान परियोजना संभाग, सीधी में पदस्थ अवधि के दौरान उनके विरूद्ध राशि रूपये 20,12,386/–(बीस लाख बारह हजार तीन सौ छियासी रूपये मात्र) की राशि विविध अग्रिम लेखा में लंबित होना प्रतिवेदित किया है।

3. श्री जुगुल किशोर तिवारी सेवानिवृत्त अधीक्षण यंत्री के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र दि. 15.12.2020 की छायाप्रति संलग्न है, जिसमें समय सीमा निर्धारित की गई है। अतः श्री तिवारी के अभ्यावेदन में उल्लेखित तथ्यों का परीक्षण कर उनके विरूद्ध लंबित विविध अग्रिम के समायोजन संबंधी कार्यवाही की जानकारी प्राथमिकता के आधार पर प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग को एवं इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि श्री तिवारी, सेवानिवृत्त अधीक्षण यंत्री के पक्ष में न मांग न जांच प्रमाण पत्र जारी किया जा सके।

संलग्न :– आवेदन पत्र दि. 15.11.2020 की छायाप्रति।

(प्रमोद कुमार खरे)
अवर सचिव
म.प्र.शासन,जल संसाधन विभाग

क्रमांक एफ19–57/2017/पी–1/इकतीस भोपाल, दिनांक 05/12/2020

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग,भोपाल की ओर प्रेषित कर अनुरोध है कि श्री जुगुल किशोर तिवारी, सेवानिवृत्त अधीक्षण यंत्री के उपरोक्त पदस्थ अवधि में उनके विरूद्ध दर्ज विविध अग्रिम राशि के समायोजन एवं वसूली के संबंध में प्रस्ताव अभिमत सहित इस विभाग को भेजने का कष्ट करें।
2. वेब मैनेजर, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग,भोपाल की ओर विभागीय वेबसाईट में प्रविष्टि हेतु।

अवर सचिव
म.प्र.शासन,जल संसाधन विभाग